आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

19-4-21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 167 / 2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता कारू साव, पिता–डोमा साव, ग्राम–हरणा, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
11	857	01 कठा	उत्तर–गुरू सहाव मिस्त्री दक्षिण–सरूप सिंह पूरब–नीज पश्चिम–अखल सिंह

मौजा– महमदपुर, थाना नं०–101, थाना–रामपुर चौरम,अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से वाद में कोई उपस्थित नही हुआ। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन दाखिल किया गया। अचंल अधिकारी अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारी को नोटिस निर्गत किया गया। कवजाधारी सुमित्रा देवी न्यायालय में उपस्थित अपने विदान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं इनका सुनवाई किया गया।

कवजाधारी के विद्वान अधिक्ता का कहना है कि मौजा हरणा थाना न0 101 में खाता सं0 23/11 खेसरा संख्या 1310/857 रकवा 10 डी0 तथा खाता सं0 23/11 खेसरा संख्या 1293/861 रकवा 07 डी0 कुल रकवा 17 डी0 दिनांक 01.07.19191 को रजिस्ट्री केवाला के माध्यम से राम प्रवेश साव, पिता–कारू साव से भूमि खरीद लिये है। खरीदगी पश्चात भूमि को जोत कोड़ आवाद कर रहें है एवं राजस्व का भूगतान 2021 तक करते चले आ रहे हे। कब्जाधारी को मात्र इस जमीन के अलावें और भूमि नहीं है, जिसे भूमि को संपुष्ट नहीं किया जाय।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल एवं कवजाधारी के द्वारा अभिलेख में पेषित काग जातों का अवलोकन किया। भूदाता द्वारा खाता सं0 11 खेसरा सं0 847 रकवा01 कठा भूमि भूदान यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से दिनांक 13.12.1954 को दान में दिया गया है। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं रामानन्द सिंह गवाह का भी हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रवितेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित भूमि चुलहन रजवार,पिता–लगेत रजवार के नाम पर खतीयान दर्ज है, जिसका कुल रकवा 19 डी0 है, जो भूदाता के क्रेता है। सुमित्र देवी पति–वुधलाली चौधरी जमावंदी संख्या 25/3 पर दर्ज है,जो खरीदार है।भूमि रैयति खाते की है गौरमजरूआ आम से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरन जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार पटना के के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या खेसरा सख्या मौजा एवं रकवा अंकित है जिसमें संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में प्रस्तावित भूमि की कुल रकवा 19 डी0 बताया है, जबकि दाता द्वारा वर्तमान कब्जाधारी भूमि दिनांक 01.07.1919 को 17 डी0 भूमि खरीद किया गया है एवं दाता द्वारा भूदान यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से दिनांक 13.02.54 को दान दिया गया है। इससे सपष्ट प्रतीत होता है कि दान की तिथि को विषयगत भूमि में भू–दाता का Right Title Internst निहित था।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।